छत्तीसगढ़ शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक PROJ-41/181/2025-PE&S, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19–11–2025
प्रति,

1. **अपर मुख्य सचिव,**
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

2. **प्रमुख सचिव,**
छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

3. **सचिव,**
छत्तीसगढ़ शासन,
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

4. **सचिव,**
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक निर्माण विभाग

5. **सचिव,**
छत्तीसगढ़ शासन,
ऊर्जा विभाग

6. **सचिव**
छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग

7. **सचिव,**
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग

8. **सचिव,**
छत्तीसगढ़ शासन,
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

9. **सचिव,**
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

10. **सचिव,**
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

विषयः– परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की 67वीं बैठक दिनांक 12–11–2025 का कार्यवाही विवरण।

––00––

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 12–11–2025 को सम्पन्न विषयांकित बैठक (लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग) का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–यथोपरि।

19/11/2025
(कुसुम एक्का)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

पृ. क्रमांक PROJ-41/181/2025-PE&S, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19–11–2025
प्रतिलिपिः–

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, की ओर कार्यवाही विवरण की प्रति सूचनार्थ प्रेषित है।

19/11/2025
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति
(Project Formulation and Implementation Committee-PFIC)

की

67 वीं बैठक: दिनांक 12 नवम्बर, 2025

कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष, परियोजना, निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की अध्यक्षता में परियोजना, निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक दिनांक 12-11-2025 को पूर्वान्ह 10:00 बजे मुख्य सचिव के प्रतिकक्ष में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में लोक निर्माण विभाग तथा जल संसाधन विभाग की परियोजना निर्माण संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया गया। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची अनुलग्नक-1 पर दी गई है।

बैठक में एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः-

एजेण्डा I: जिला रायपुर के जी.ई. रोड पर गुरू तेज बहादुर उद्यान से नेताजी सुभाष चौक/गुरूनानक चौक तक फ्लाई ओव्हर का निर्माण कार्य, लागत राशि रु. 173.36 करोड़।

परियोजना के संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण समिति के समक्ष दिया गया। विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि जी.ई. रोड पर भगत सिंह चौक, मरीन ड्राईव चौक, गुरूनानक चौक में चारों दिशाओं का यातायात घनत्व IRC: SP:90-2013 के कंडिक क्र. 3.8.1.2/(b) के अनुसार 10,000 PUC से अधिक होने पर फ्लाई ओव्हर का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। इस हेतु विभाग द्वारा गुरू तेज बहादुर उद्यान से भगत सिंह चौक-मरीन ड्राईव चौक- गुरूनानक चौक तक रु. 173.36 करोड़ की लागत से फ्लाई ओव्हर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

2/ भूमि की सीमित उपलब्धता एवं यातायात घनत्व को दृष्टिगत करते हुए सिंगल पीयर वाले फ्लाईओव्हर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिससे वायडक्ट वाले भाग में दोनों ओर लगभग 9-9 मीटर तथा अन्य भाग में (आर.ई.वाल भाग में) लगभग 7-7 मीटर

केरिजवे की सर्विस रोड़, यातायात हेतु उपलब्ध होगी। फ्लाई ओव्हर के नीचे ऊर्ध्वाधर (Vertical clearance) निकासी एवं क्षैतिज निकासी (Horizontal clearance) की उपलब्धता अनुसार सर्विस रोड का प्रावधान किया गया है। पुल की कुल लंबाई 1493.00 मीटर है तथा लागत रु. 11.17 लाख प्रति मीटर है। फ्लाई ओव्हर हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तावित परियोजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल है।

समिति द्वारा सम्यक विचार उपरांत जिला रायपुर के जी.ई. रोड पर गुरू तेज बहादुर उद्यान से नेताजी सुभाष चौक/गुरूनानक चौक तक फ्लाई ओव्हर का निर्माण कार्य, लागत राशि रु. 173.36 करोड़ को आगामी कार्यवाही हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।

**

एजेण्डा II: राजनांदगांव जिले में स्थित मोहारा एनीकट में पेयजल हेतु चौकी एनीकट से मोहारा एनीकट तक पाईप लाईन के माध्यम से जल प्रदाय कार्य, लागत राशि रु. 174.60 करोड़।

परियोजना के संबंध में जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण समिति के समक्ष दिया गया। विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि मोहारा एनीकट की जल भराव क्षमता राजनांदगांव शहर के पेयजल की मांग से कम है। अतः इस मांग की पूर्ति हेतु मोगरा बैराज से चौकी एनीकट के माध्यम से मोहारा एनीकट को जल प्रदाय किया जाता है। चौकी एनीकट से मोहारा एनीकट की नदी मार्ग से दूरी लगभग 55 कि.मी. है एवं इस मध्य में 12 एनीकट है तथा कृषकों द्वारा पंप से जल का दोहन किया जाता है, जिसके कारण प्रदाय किये गये जल की मात्रा का लगभग 30 प्रतिशत मोहारा में उपलब्ध हो पाता है। अतः इस कमी को दूर करने हेतु चौकी एनीकट से मोहारा एनीकट तक पाईप लाईन के माध्यम से जल आपूर्ति करने हेतु यह परियोजना प्रस्तावित है। इस परियोजना से मोगरा बैराज में बचत जल की मात्रा का उपयोग अन्य प्रयोजनों में किया जा सकेगा। इसलिए रु. 174.60 करोड़ की लागत से चौकी एनीकट से मोहारा एनीकट तक 1000 मि.मी. व्यास की 25,645 मीटर लंबाई की डी.आई के-9 पाईप लाईन बिछाने का प्रस्ताव है।

2/ प्रस्तावित योजना वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल है। परियोजना के निर्माण से वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। प्रस्तावित पाईन लाईन कार्य शासकीय रोड के किनारे

सतह से औसतन 1.50 मीटर गहराई मे बिछाया जाएगा। अतः निजी भूमि अर्जन की आवश्यकता नहीं है।

3/ विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि पीने के पानी की दिक्कत एवं शासन के फसलचक्र परिवर्तन नीति को लागू करने हेतु परियोजना का निर्माण आवश्यक है।

समिति द्वारा सम्यक विचार उपरांत राजनांदगांव जिले में स्थित मोहारा एनीकट में पेयजल हेतु चौकी एनीकट से मोहारा एनीकट तक पाईप लाईन के माध्यम से जल प्रदाय कार्य, लागत राशि रु. 174.60 करोड़ को आगामी कार्यवाही हेतु सैद्धांतिक निम्नलिखित शर्त पर सहमति प्रदान की गईः-

1. *परियोजना में उपयोग किये जाने वाले पाईप का प्रकार तकनीकी रूप से व्यावहारिक एवं किफायती रहे।*

**

एजेण्डा III: जशपुर जिले के के अंतर्गत मैनी नदी में बगिया बैराज सह दाबयुक्त उद्वहन सिंचाई योजना का निर्माण कार्य, लागत राशि रु. 264.28 करोड़।

परियोजना के संबंध में जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण समिति के समक्ष दिया गया। विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड स्थित ग्राम बगीया एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों में कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैराज सह उद्वहन सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना मैनी नदी के बाई एवं दाई तटों के ग्रामों को सिंचाई सुविधा से जोड़ने के लिए तैयार की गई है। जिससे इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिल सके तथा किसानों की आय में स्थायी रूप से वृद्धि हो।

2/ विभाग द्वारा समिति को यह भी अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा इस परियोजना को MCAD (Modernization of Command Area Development) योजना के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए रू. 97.10 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना में 10 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का प्रावधान भी है, जिससे PPIN (**Pressurized Pipe Irrigation Network**) के माध्यम से सिंचाई करने में उपयोग होने वाली ऊर्जा का समयोजन हो सके। प्रस्तावित योजना वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल है।

3/ योजना के निर्माण से वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। इसके डुबान क्षेत्र में 52.87 हेक्टयर शासकीय भूमि तथा नहर निर्माण हेतु 20.00 हेक्टेयर निजी भूमि की आवश्यकता है। योजनांतर्गत कोई पुर्नवास-पुनर्विस्थापन की आवश्यकता नहीं है।

समिति द्वारा सम्यक विचार उपरांत जशपुर जिले के के अंतर्गत मैनी नदी में बगिया बैराज सह दाबयुक्त उद्वहन सिंचाई योजना को आगामी कार्यवाही हेतु सैद्धांतिक सहमति निम्नलिखित शर्त पर प्रदान की गईः-

1. ***योजना में उपयोग होने वाली ऊर्जा को छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी के माध्यम से प्राप्त करे एवं योजना में सौर ऊर्जा के प्रावधानों को विलोपित करें।***

**

एजेण्डा IV: मिनीमाता हसदेव बांगो वृहद् परियोजना आग्मेंटेशन के अंतर्गत परसाही दाब युक्त उद्वहन सिंचाई परियोजना, लागत राशि रु. 997.93 करोड़।

परियोजना के संबंध में जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण समिति के समक्ष दिया गया। विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि जांजगीर-चांपा जिले के हसदेव बांगों परियोजना अंतर्गत वृहद परियोजना ऑगमेण्टेशन अंतर्गत परसाही दाबयुक्त उद्वहन सिंचाई परियोजना अकलतरा/बलौदा विकासखण्ड के ग्राम परसाही में स्थित है।

2/ जांजगीर जिले के अकलतरा एवं बलौदा विकासखण्ड के क्षेत्र जो, ऊंचाई पर स्थित है तथा नहर द्वारा सिंचित नहीं किया जा सकता है, उन्हे परसाही दाबयुक्त उद्वहन सिंचाई परियोजना में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत हसदेव दांयी तट नहर में 03 एवं अकलतरा शाखा नहर में 01 कुल 04 पम्प हाऊस द्वारा पानी को लिफ्ट कर पाईप लाईन द्वारा दो विकासखण्ड अकलतरा एवं बलौदा में सिंचाई हेतु पहुँचाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना वर्ष 2024-25 के बजट शामिल है।

3/ सचिव जल संसाधन विभाग द्वारा समिति को यह भी अवगत कराया गया कि योजना में कुल 7.85 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी, जिसकी पूर्ति के लिए हसदेव बांगो बांध में Floating सोलर पैनल स्थापित कर 100 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य

है।

समिति द्वारा सम्यक विचार उपरांत मिनीमाता हसदेव बांगो वृहद् परियोजना आग्मेंटेशन के अंतर्गत परसाही दाब युक्त उद्वहन सिंचाई परियोजना को आगामी कार्यवाही हेतु सैद्धांतिक सहमति निम्नलिखित शर्त पर प्रदान की गईः-

1. *योजना में उपयोग होने वाली ऊर्जा को छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी के माध्यम से प्राप्त करे एवं योजना में सौर ऊर्जा के प्रावधानो को विलोपित करें।*
2. *योजना में उपयोग किये जाने वाले पाईप का प्रकार तकनीकी रूप से व्यावहारिक एवं किफायती रहे।*

**

एजेण्डा V: मड़वारानी बैराज निर्माण सह उद्वहन सिंचाई योजना का निर्माण कार्य, लागत राशि रु. 288.70 करोड़।

समिति द्वारा जल संसाधन विभाग को प्रस्तावित परियोजना के निर्माण को कलेक्टर कोरबा से चर्चा कर जिला खनिज नीधि (DMF) के माध्यम से किये जाने की संभावनाओं का परीक्षण करने का निर्देश दिया गया है।

**

एजेण्डा VI: रायपुर जिले के विकासखण्ड आरंग में मोहमेला सिरपुर बैराज निर्माण कार्य, लागत राशि रु. 614.18 करोड़।

परियोजना के संबंध में जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण समिति के समक्ष दिया गया। विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि रायपुर जिले के आरंग विकासखण्ड में महानदी पर मोहमेला-सिरपुर बैराज का निर्माण मोहमेला ग्राम में प्रस्तावित है। परियोजना अंतर्गत शीर्ष कार्य में महानदी पर मोहमेला सिरपुर 1145 मी लंबाई का बैराज निर्माण किया जाएगा, जिसमें लिफ्ट सिंचाई द्वारा 12 ग्रामों के 1803 हेक्टेयर क्षेत्र सोलर पंप से पानी लिफ्ट कर 26 कि.मी. पाइपालाइन द्वारा सिंचाई सुविधा विकसित की जाएगी।

2/ विभाग द्वारा समिति को यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व में परियोजना का स्थल ग्राम सिरपुर के डाउनस्ट्रीम में प्रस्तावित था। बैराज के निर्माण से सिरपुर क्षेत्र में स्थित

पुरातात्विक स्थल के डूबान क्षेत्र में आने के कारण परियोजना को पूर्व प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम में बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है।

3/ प्रस्तावित परियोजना वर्ष 2024-25 के बजट शामिल है। इस योजना से किसी भी प्रकार की आबादी एवं शासकीय संपत्ति प्रभावित नहीं हो रही है।

समिति द्वारा सम्यक विचार उपरांत रायपुर जिले के विकासखण्ड आरंग में मोहमेला सिरपुर बैराज निर्माण कार्य को आगामी कार्यवाही हेतु सैद्धांतिक सहमति निम्नलिखित शर्त पर प्रदान की गईः-

1. *योजना में उपयोग होने वाली ऊर्जा को छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी के माध्यम से प्राप्त करे एवं योजना में सौर ऊर्जा के प्रावधानो को विलोपित करें।*
2. *योजना में उपयोग किये जाने वाले पाईप का प्रकार तकनीकी रूप से व्यावहारिक एवं किफायती रहे।*

**

एजेण्डा VII: रायपुर जिले के विकासखण्ड आरंग में चपरीद एनीकट निर्माण कार्य, लागत राशि रु. 148.38 करोड़।

समिति द्वारा जल संसाधन विभाग को प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करने के निर्देश दिए गए।

**

एजेण्डा VIII: गरियाबंद जिले के पैरी परियोजना के अंतर्गत सिकासार जलाशय से कोडार जलाशय लिंक नहर (पाईप लाईन) का निर्माण कार्य, लागत राशि रु. 2585.58 करोड़।

परियोजना के संबंध में जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण समिति के समक्ष दिया गया। विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि महासमुन्द जिले के कोडार जलाशय (वृहद परियोजना) एवं केशवा नाला जलाशय (मध्यम परियोजना) में पिछले वर्षों की भराव स्थिति अनुसार 25.67 प्रतिशत एवं 34.13 प्रतिशत कमी लक्षित की गई है। जिसके कारण उक्त योजनाओं से रूपांकित क्षमता के अनुरूप सिंचाई नहीं की जा सकी है। अत: सिकासार जलाशय की कुल जलभराव क्षमता 198.92 मि.घ.मीटर है। जलभराव क्षेत्र का भरोसेमंद मानसून वर्षा से 274.74 मि.घ.मीटर जल प्राप्त होता है। सिकासार जलाशय के जलभराव के पश्चात शेष जल वेस्टवियर से नदी में बह जाता है। अत: अतिरिक्त 75.00 मि.घ.मीटर में से 40.00 मि.घ.मीटर को महासमुन्द जिला स्थित

कोडार जलाशय एवं केशवा नाला में प्रत्यावर्तित कर भरा जाना प्रस्तावित है।

2/ प्रस्तावित परियोजना वर्ष 2025-26 के बजट शामिल है। उक्त परियोजना अंतर्गत लगभग 88 कि.मी. की 03 मी. व्यास की पाईप लाईन से कोडार जलाशय में जल की आपूर्ति की जावेगी। वर्तमान में कोडार जलाषय में सतत् जल की कमी रहती है जिसके कारण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराने में कठिनाई आती है। सिकासार जलाशय में 75 एम.सी.एम. पानी खरीफ में व्यर्थ बह जाता है जिसका उपयोग कोडार एवं केशवा जलाशय को भरने, जिससे लगभग 25000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा सम्यक विचार उपरांत गरियाबंद जिले के पैरी परियोजना के अंतर्गत सिकासार जलाशय से कोडार जलाशय लिंक नहर (पाईप लाईन) का निर्माण कार्य, लागत राशि रु. 2585.58 करोड़ को आगामी कार्यवाही हेतु सैद्धांतिक सहमति निम्नलिखित शर्त पर प्रदान की गईः-

1. *परियोजना में उपयोग किये जाने वाले पाईप का प्रकार तकनीकी रूप से व्यावहारिक एवं किफायती रहे।*

**

एजेण्डा IX: बिलासपुर जिले के खारंग जलाशय योजना की बांयी तट नहर के आवर्धन हेतु पाराघाट व्यपवर्तन योजना से उद्वहन फीडर सिंचाई का निर्माण कार्य, लागत राशि रु. 328.59 करोड़।

परियोजना के संबंध में जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण समिति के समक्ष दिया गया। विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि लीलागर नदी पर निर्मित पाराघाट व्यपवर्तन योजना से उद्वहन फीडर सिंचाई योजना का निर्माण कर खारंग एल.बी.सी. के आर.डी. 35700 मी. तक पानी ले जाया जाता है, तो खारंग जलाशय में प्रतिवर्ष लगभग 55 से 110 मि.घ.मी. पानी की बचत होगी, जिसे नगर निगम बिलासपुर की पेयजल आपूर्ति तथा रतनपुर की पेयजल आपूर्ति के साथ-साथ प्रतिवर्ष ग्रीष्म ऋतु में निस्तारी तालाबों को भरने के लिए भी पानी दिया जा सकेगा, तथा खारंग एल.बी.सी. के टेल एरिया में जहां बारिश नहीं होने की स्थिति में पीक डिमांड के समय पानी की किल्लत होती है उससे बचा जा सकेगा। प्रस्तावित परियोजना वर्ष 2025-26 के बजट शामिल है।

2/ इस परियोजना द्वारा लीलागर नदी पर स्थित पाराघाट व्यपवर्तन के अपस्ट्रीम में दांयी तट में पंप हाउस निर्माण कर 2.50 मी. व्यास की व 8.1 कि.मी. लंबाई की 2 रोव पाइप लाइन के माध्यम से एल बी सी मुख्य नहर की आर डी 35700 मी एवं 300 एम.एम. व्यास व 465 मी. लंबाई की पाइप लाइन के माध्यम से देवगांव व्यपवर्तन योजना तथा 900 एम.एम.व्यास व 12 मी.लंबाई पाईप से पाराघाट शाखा नहर तक पानी ले जाना प्रस्तावित है। इस योजना के डूब क्षेत्र में कोई भी ग्राम, मकान, व्ही.आर.बी., ग्रामीण सड़क, एच.टी. लाईन, स्कूल भवन, रेल लाइन या संचाई योजना प्रभावित नहीं होगी तथा निर्माण कार्य के लिए निर्विवाद रूप से शासकीय भूमि उपलब्ध है।

समिति द्वारा सम्यक विचार उपरांत बिलासपुर जिले के खारंग जलाशय योजना की बांयी तट नहर के आवर्धन हेतु पाराघाट व्यपवर्तन योजना से उद्वहन फीडर सिंचाई का निर्माण कार्य, लागत राशि रु. 328.59 करोड़ को आगामी कार्यवाही हेतु सैद्धांतिक सहमति निम्नलिखित शर्त पर प्रदान की गईः-

1. *परियोजना में उपयोग किये जाने वाले पाईप का प्रकार तकनीकी रूप से व्यावहारिक एवं किफायती रहे।*

(मुख्य सचिव महोदय द्वारा अनुमोदित)

(भुवनेश यादव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

अनुलग्नक-1

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 12-11-2025 को संपन्न परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित रहेः-

1. श्रीमती ऋचा शर्मा, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
2. श्रीमती शहला निगार, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग,
3. डॉ. रोहित यादव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग,
4. डॉ. कमल प्रीत सिंह, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग,
5. श्री मुकेश कुमार बंसल, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग,
6. श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग,
7. श्री अंकित आनंद, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग
8. श्री भुवनेश यादव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
9. श्री भीम सिंह, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
10. श्री के. के. मरकाम, विशेष कर्तव्यस्थ्य अधिकारी, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग

**